राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क्रः– 9(76)राज–6/2024/257

जयपुर, दिनांकः– 30.05.2025

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

–ःपरिपत्रः–

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4(क) में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अवाप्ताधीन भूमियों पर संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में उक्त प्रतिबन्ध के बावजूद भी अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के पश्चात् भी भूमि रूपान्तरण किये जा रहे हैं, जो कि नियमान्तर्गत नहीं है।

अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है किः–

1- अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरांत नियम 4(क) के प्रतिबंध के बावजूद भी जिन प्रकरणों में संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये हैं, उनको चिन्हित कर सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील की जाकर, निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे तथा प्रकरणों की जांच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशानात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2- यदि नियम 4(क) से प्रतिबंध भूमियों का संपरिवर्तन किसी भी प्रयोजनार्थ किसी विहित अधिकारी द्वारा नियम 4(क) का उल्लंघन कर किया जाता है तो विहित प्राधिकारी अनधिकृत रूप से किये गये भूमि संपरिवर्तन के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगें एवं उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

30/05
(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1- विशिष्ट सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2- उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4- आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
5- समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6- समस्त शासन उप सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग।

30/5
प्रमुख शासन सचिव